

**अपील संख्या 2013/00046, उनवान बीना बनाम गफूर
वगैरह, आदेश दिनांक 16.08.2018.**

पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने सहायक कलक्टर (मृ), अजमेर की आदेश प्रति पेशी की, जो शामिल पत्रावली हों। अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने बताया कि मूल वाद का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जा चुका है इसलिए यह अपील जो की धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की है, जो सारहीन हो चुकी है इसलिए खारिज फरमायी जावें।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।